पत्र संख्या -स0द0-/फार्म 38 व्यवस्था/2012-13/ 2369/ 1213093/

वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचल दल अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: ~~फरवरी~~ 1 मार्च , 2013

::आदेश::

मुख्यालय के आदेश सं0-चेकपोस्ट-फार्म 38 व्यवस्था / 0910045 / वाणिज्य कर दिनांक 28-8-2009 से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की अनुसूची-1 में घोषित कर मुक्त माल के अतिरिक्त समस्त करयोग्य माल को उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तर प्रदेश के अन्दर लाने के लिए निर्धारित फार्म-38 (आयात हेतु घोषण पत्र) को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए व्यवस्था प्रभावी की गयी है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों द्वारा डाउनलोड किये गये फार्म 38 की वैधता अवधि उसकी डाउनलोडिंग से 03 माह तक निर्धारित की गयी है।

मुख्यालय के संज्ञान में विभिन्न व्यापारियों / व्यापारी संगठनों द्वारा यह तथ्य लाये गये हैं कि उनके द्वारा प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने हेतु जो आयात घोषणा पत्र भेजा जाता है वह समयान्तर्गत रहता है परन्तु कतिपय प्रकरणों में ऐसे माल के परिवहन के दौरान फार्म 38 की वैधता तिथि समाप्त हो जाती है। डाउनलोडेड फार्म 38 के साथ माल से संबंधित अन्य प्रपत्र यथा- बिल बिल्टी आदि वैधता अवधि के पूर्व के रहते हैं। इन परिस्थितियों में ऐसे फार्म 38 के साथ परिवहन किये जा रहे माल का अभिग्रहण न करते हुये दूसरा आयात घोषणा पत्र प्राप्त कर माल को जाने की अनुमति दिया जाना उचित है क्योंकि ऐसे प्रकरणों मे करापवंचन का कोई बिन्दु नही रहता है।

विचारोपरांत विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा अवगत कराये गये उक्त तथ्य औचित्यपूर्ण एवं तर्कसंगत स्पष्ट होते है। अत: यह निर्णय लिया जाता है कि जिन प्रकरणों में माल परिवहन के दौरान माल से संबंधित बिल , बिल्टी आदि प्रपत्र फार्म 38 की वैधता तिथि से पूर्व के होने पर यदि व्यापारी द्वारा ऐसे फार्म 38 के विरुद्ध माल का आयात किया जाना प्रकाश में आता है जिसकी वैधता माल के परिवहन की अवधि में ही समाप्त हो गयी है तब ऐसे मामलों में प्रश्नगत व्यापारी द्वारा नया फार्म 38 भरकर प्रस्तुत किये जाने पर प्रश्नगत माल का अभिग्रहण न करके माल को जाने दिया जाये।

उक्त के अतिरिक्त इस व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देश यथावत् जारी रहेंगे।

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।
प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0
4. प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
5. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
6. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद
8. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, सेक्टर-10, नोएडा।
9. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।
10. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
11. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल,87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर
12. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ।

13. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ
14. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर ।
15. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्ड0 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
16. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ ।
17. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ ।
18. आल इंडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इंण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद ।
19. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
20. राज्यस्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के माध्यम से ।
21. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
22. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद ।
23. श्रीमती इन्दु मिश्रा ,इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद ।
24. श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण30प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर।
25. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
26. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर ।
27. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
28. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
29. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
30. इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
31. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
32. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा ।
33. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर
34. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
35. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर ।
36. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ ।
37. श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीयउद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
38. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहाकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
39. श्री गोपाल अग्रवाल , राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।
40. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ ।
41. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ ।
42. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
43. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
44. समस्त अनुभाग / अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
45. सचल दल अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त ।

01/03/13

(सम्पूर्णा नन्द पाण्डेय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचल दल) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।